झारखंड उच्च न्यायालय, राँची

सिविल विविध याचिका संख्या 915/2023

सीता राम शर्मा उम्र लगभग 77 वर्ष, पिता- शिव चरण शर्मा, निवासी व्हाइट हाउस कैम्पस, लक्ष्मी नर्सिंग होम के पीछे, मेन रोड, हिनू, डाकखाना- हिनू, थाना- डोरंडा, जिला- रांची (झारखंड) .... **याचिकाकर्ता**

बनाम

1 (क) गीता साहू पति स्वर्गीय अशोक साहू

(ख) साहिल आनंद, पिता स्वर्गीय अशोक साहू

दोनों निवासी, पवन कॉलोनी, हिनू चौक, डाकखाना- हिनू, थाना- डोरंडा, जिला- राँची

(ग) (क) मनीष देव, पिता- रघुनाथ साहू

(ख) रघुनाथ साहू, पिता- स्वर्गीय बासुदेव साहू

दोनों निवसी- ग्राम तमाड़, डाकखाना और थाना- तमार, जिला- राँची

(घ) रीता प्रसाद, पति- विश्वमोहन प्रसाद, निवासी- रातु रोड, सुखदेवनगर, डाकखाना और थाना- सुखदेवनगर

2. तुलसी साहू, पिता- स्वर्गीय बालगोविंद साहू

दोनों निवासी- पवन कॉलोनी, हिनू चौक, डाकखाना और थाना-डोरंडा,

जिला- रांची (झारखंड) ....**विपक्षीगण**

,-------

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री कुंदन कुमार अंबष्ठ, अधिवक्ता

विपक्षीगण की ओर से: श्री प्रत्यूष कुमार, अधिवक्ता

आदेश संख्या 05/दिनांक 26 फरवरी, 2024

आई.ए. संख्या 2103 वर्ष 2024

1. इस अंतर्वर्ती आवेदन में यह अनुमति मांगी गई है कि विपक्षी संख्या 1 की मृत्यु हो गई है और इसलिए न्यायालय में प्रतिस्थापन याचिका दायर करने की मांग की गई है।

2. इसमें यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विपक्षी संख्या 1, जिसकी मृत्यु हो गई है और जिसके लिए वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया है, पत्नी है तथा उसके स्थान पर उसके पति और पुत्र को विपक्षीगण के रूप में पक्षकार बनाने की मांग की गई है।

3. कथित अंतर्वर्ती आवेदन में की गई प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए इसे रिकॉर्ड पर लिया जा रहा है।

4. विपक्षी संख्या 2 की ओर से विद्वान वकील श्री प्रत्यूष कुमार ने प्रस्तुत किया कि इसकी प्रति प्राप्त हो चुकी है और उन्होंने इसका प्रतिउत्तर दायर करने के लिए कोई समय नहीं मांगा है।

5. वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन में की गई प्रार्थना पर विचार करते हुए, जैसी मांग की गई है, पक्षकार की व्यवस्था में इस प्रकार प्रतिस्थापन की अनुमति दी जाती है।

6. अंतर्वर्ती आवेदन क्रमांक 2103/2024 मन्ज़ूर की जाती है।

7. कार्यालय को विपक्षी संख्या 1 के हक़ के कारण (cause of title) में तत्काल आवश्यक सुधार करने का निदेश दिया जाता है ।

सिविल विविध याचिका संख्या 915/2023

8. वर्तमान याचिका भारतीय संविधान के अनुचछेद 227 के अंतर्गत है जिसके द्वारा और जिसके तहत मूल वाद संख्या 193/2013 से उत्पन्न सिविल विविध याचिका संख्या 93/2020, में विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन-IX, राँची द्वारा दिनांक 27.01.2023 को पारित आदेश जिसके द्वारा और जिसके तहत वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता (c.p.c.) के आदेश VI, नियम 17 के तहत दायर वादपत्र में संशोधन करने की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है, आक्षेपित किया गया है।

9. प्रस्तुतत दलील के अनुसार मामले के संक्षिप्त तथ्य तथा आरोपित आदेश में अंतर्निहित तथ्य है निम्मानुसार :-

10. इस सिविल विविध याचिका को जन्म देने वाले तथ्य ये हैं कि वादियों ने विद्वान मुंसिफ, रांची की अदालत में प्रतिवादी के खिलाफ बेदखली स्वत्व वाद दायर किया था, जिसमें बी.बी.सी.

अधिनियम,1982 के प्रावधानों के तहत किराये का भुगतान करने में चूक और व्यक्तिगत आवस्यकता के आधार पर प्रतिवादी को वाद परिसर से बेदखल करने के लिया डिक्री देने की प्रार्थना की गई थी।

11. वादपत्र में वर्णित वादी का मामला यह है कि प्रतिवादी को बिक्रेता वादी द्वारा वाद परिसर के संबंध में किरायेदार के रूप में प्रवेशित किया गया था और प्रतिवादी जनवरी 2002 से वाद परिसर के संबंध में किराये के भुगतान में विफल रहा है और प्रतिवादी वाद परिसर से बेदख़ल किये जाने के लिए उत्तरदायी है।

12. वादियों के दावे का प्रतिरोध करते हुए प्रतिवादी ने लिखित कथन दायर किया और वादी के दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर विरोध किया कि वाद के पक्षकारों के बीच मकान मालिक और किरायेदार का कोई संबंध नहीं है और प्रतिवादी 1970 से अपने अधिकार का इज़हार करते हुए वाद परिसर में दखलकार है और वादियों का इस पर कोई अधिकार, स्वत्व, हित या कब्ज़ा नहीं है।

13. इसके बाद, वादियों ने सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत एक याचिका दायर कर वाद पत्र में इस विस्तार सीमा तक संशोधन करने की मांग की थी कि वाद पत्र के अनुसूची में अनजाने में वाद सम्पत्ति का क्षेत्रफल 4 कठ्ठा 6 छटांक दर्ज करना छूट गया है।

14. प्रतिवादी ने उक्त याचिका पर आपत्ति दर्ज की, जिसमें कहा गया कि संशोधन याचिका विलंबित चरण में दायर की गई है जबकि वाद अंतिम बहस हेतु सुनवाई के लिए निर्धारित है।

15. विद्वान निचली अदालत ने दिनांक 27.01.2023 के आदेश द्वारा वादी द्वारा विलंबित चरण में दायर संशोधन याचिका को अनुज्ञात कर लिया।

16. संशोधन अनुज्ञात करने वाले दिनांक 27.01.2023 के आदेश के अनुसरण में प्रतिवादी ने अतिरिक्त लिखित कथन दायर करने के लिए प्रतिवादी को एक महीने का समय दिए जाने का याचिका दायर किया।

17. वादियों ने उक्त याचिका पर प्रत्युत्तर दायर किया जिसमें प्रतिवादी द्वारा वाद में अतिरिक्त लिखित कथन दायर करने के लिए दायर याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

18. विद्वान न्यायालय ने दिनांक 30.05.2023 के आदेश द्वारा प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त लिखित कथन दायर करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज क र दिया।

19. दिनांक 27.01.2023 और 30.05.2023 के उपर्युक्त आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान याचिका दायर की गई है।

20. यहां स्वीकृत तथ्य, जैसा कि उपर्युक्त अभिकथन और आक्षेपित आदेश से जाहिर होता है, यह है कि वाद संपत्ति पर कब्जे की प्राप्ति हेतु डिक्री के लिए दायर किया गया था। वाद पत्र में विवादित संपत्ति का विवरण दर्ज है, जो इस प्रकार है, एक कमरा, खपड़ापोश मकान में एक बरामदा जिसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, जो मेन रोड में लक्ष्मी नर्सिंग होम के पीछे, हिनू, थाना- डोरंडा, जिला-रांची

म्यूनिसिपल होल्डिंग नंबर 172/E के भाग के तत्स्थानी खाता संख्या 9 के अंतर्गत R.S. प्लॉट संख्या 519 के भाग पर स्थित है।

21. मुकदमा आगे बढ़ा लेकिन उस समय जब कार्यवाही में बहस पूरी हो गई थी, आदेश VI, नियम 17 के तहत एक याचिका दायर किया गया जिसमें वाद की अनुसूची में संशोधन करने की मांग की गई थी कि 4 कट्ठा 6 छटाँक माप वाली वाद-संपत्ति को वाद-संपत्ति की अनुसूची में लिपिबध्द करना छूट गया है जब कि वादपत्र की अनुसूची के पैरा 4 में लिखी गई है और इसलिए इसे शामिल करने की ईप्सा की गई है।

22. विद्वान न्यायालय ने प्रतिवादी, अर्थात् यहां याचिकाकर्ता से आपत्ति आमंत्रित करने के पश्चात दिनांक 27.01.2023 के आदेश द्वारा उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया।

23. इसके बाद, याचिकाकर्ता - वाद के प्रतिवादी, ने इस आधार पर अतिरिक्त लिखित कथन दायर किया कि ईप्सित संशोधन को दिनांक 27.01.2023 के आदेश के तहत अनुज्ञात कर ली गई थी। लेकिन विद्वान न्यायालय ने दिनांक 30.05.2023 के आदेश के माध्यम से उक्त लिखित कथन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि प्रतिवादी द्वारा अतिरिक्त लिखित कथन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

24. दोनों आदेश, अर्थात दिनांक 27.01.2023 और दिनांक 30.05.2023 का आदेश वर्तमान याचिका के विषय वस्तु हैं।

25. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 30.08.2023 को मामले की सुनवाई की और विचार करते समय उत्तरवादी/वादी को नोटिस जारी किया और विद्वान अतिरिक्त सिविल जज, जूनियर डिवीजन, रांची की अदालत में लंबित स्वत्व वाद संख्या 193/2013 के संबंध में आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया।

26. उत्तरवादी उपस्थित हुए जिनका प्रतिनिधित्व विद्वान अधिवक्ता श्री प्रत्यूष कुमार कर रहे हैं।

27. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कुंदन कुमार अंबष्ठ ने दिनांक 27.01.2023 के आदेश को आक्षेपित करते हुए प्रस्तुत किया कि इस तरह के किसी संशोधन को शामिल करने की आवश्यकता नहीं थी, वह भी बहस के स्तर पर।

28. दूसरा आधार यह लिया गया है कि उक्त संशोधन को शामिल करने से वाद की प्रकृति ही बदल गई है।

29. आगे यह आधार लिया गया है कि दिनांक 27.01.2023 के आदेश द्वारा संशोधन की अनुमति देते समय, विद्वान अदालत को वादी द्वारा सम्यक् तत्पर्ता दर्शाने को ध्यान में रखना चाहिए था जो संशोधन की अनुमति देने के लिए पूर्वापेक्षित है।

30. जहां तक दिनांक 30.05.2023 के आदेश के औचित्य का संबंध है, यह प्रस्तुत किया गया कि एक ओर जहां दिनांक 27.01.2023 के आदेश के तहत संशोधन की अनुमति दी गई, वहीं दूसरी ओर विद्वान न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लिखित कथन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

31. इसलिए, यह दलील दी गई कि एक बार संशोधन की अनुमति दे दिए जाने के बाद बचाव का अधिकार प्रदान करने के लिए, सामान्य परिणाम यह होना चाहिए कि जिस पक्ष के खिलाफ संशोधन की अनुमति दी गई है, उसे अतिरिक्त लिखित कथन दायार करने का अवसर दिया जाए, तभी यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उचित पालन किया गया है, ताकि संबंधित पक्ष को कोई पूर्वाग्रह न हो। लेकिन, विद्वान न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य की मूल्यांकन किए बिना, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ऐसा लिखित कथन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

32. यह प्रश्न उठाया गया है कि अतिरिक्त कथन दायर करने की आवश्यकता है या नहीं, जो संबंधित पक्षकार को अच्छी तरह समझना है न कि न्यायालय को, इसलिए, दिनांक 30.05.2023 का आदेश भी कानून की नजर में त्रुटिपूर्ण है।

33. वहीं दूसरी ओर, विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रत्यूष कुमार ने आपत्ति जताई है कि याचिकाकर्ता के आचरण के कारण दिनांक 27.01.2023 के आदेश को आक्षेपित करने में याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं हो सकती है, क्योंकि, उसने संशोधन की अनुमति देने वाले दिनांक 27.01.2023 के आदेश को स्वीकार करने के बाद अतिरिक्त लिखित कथन भी दायर किया है, लेकिन जब इसे दिनांक 30.05.2023 के आदेश द्वारा अनुज्ञात नहीं किया गया, तब जा कर सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत याचिका को अनुज्ञात करने वाले दिनांक 27.01.2023 के आदेश को आक्षेपित किया गया है।

34. जहां तक दिनांक 27.01.2023 के आदेश के तहत संशोधन को स्वीकार करने के संबंध में जो तर्क दिए गये हैं, उसे इस तथ्य के मद्देनजर बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता है कि कार्यवाही की बहुलता से बचने के लिए सुस्थापित विधि के अनुसार वाद के किसी भी चरण में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है।

35. विद्वान न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों एंव ईप्सा की गई संशोधन की प्रकृति पर विचार करने, जो वाद में दिए गए शिड्यूल के तहत क्षेत्रफल को जोड़ने से संबंधित है, और इसलिए, इस सिद्धांत पर, कि यदि सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत दायर उक्त आवेदन को अनुज्ञात किया गया तो विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाएगा, इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है।

36. हालांकि, इन्होंने (विद्वान अधिवक्ता ने) दिनांक 30.05.2023 के आदेश के औचित्य के बारे में अपने तर्क को इस आधार पर आगे बढ़ाकर न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया कि अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने का अवसर देने से इन्कार करने में उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से उसके द्वारा दायर पहले के लिखित कथन में सब कुछ शामिल कर लिया गया है।

37. इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और दोनों आदेशों दिनांक 27.01.2023 और 30.05.2023 का अवलोकन किया है।

38. यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान याचिका में दो आदेशों को चुनौती दी गई है, पहला आदेश दिनांक 27.01.2023 और दूसरा आदेश दिनांक 30.05.2023 का है।

39. दिनांक 27.01.2023 का आदेश वह आदेश है जिसके द्वारा सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17, के तहत दायार आवेदन को अनुज्ञात कर लिया गया है, जिसके द्वारा और जिसके तहत वादपत्र के शिड्यूल में इस आशय का विवरण दर्ज करने की ईप्सा की गयी थी कि लक्ष्मी नर्सिंग होम के पीछे व्हाइट हाउस के रूप में जाने जाने वाली वाद- संपत्ति में एक कमरा, खपड़ापोश मकान का एक बरामदा, खाता नंबर 9 के तहत R. S. प्लॉट नंबर 519 के हिस्से, समस्थानी म्यूनिसिपल होल्डिंग नंबर 172/E के हिस्से पर स्थित, मेन रोड, हीनू ,थाना- डोरंडा, जिला-रांची में शब्द "वाद की संपत्ति 4 कट्ठा 6 छटाक है, जो शिड्यूल में दर्ज होना छूट गया था, हालांकि यह वादपत्र के पैराग्राफ 4 में उपलब्ध है, इसलिए इसे वाद पत्र में शामिल करने की मांग की गई है ताकि कार्यवाही की बहुलता से बचा जा सके।"

40. कथित आवेदन दिनांक 27.01.2023 के आदेश द्वारा अनुज्ञात कर ली गई थी। दिनांक 27.01.2023 के आदेश से यह स्पष्ट है कि विद्वान न्यायालय ने न्याय के हित में उक्त आवेदन को अनुज्ञात किया है और साथ ही इस सिद्धांत पर भी कि ईप्सित संशोधन को सी.पी.सी. के आदेश VI,नियम 17 शब्द, यानी "किसी भी स्तर पर" (“at any stage”) को ध्यान में रखते हुए उदारतापूर्वक स्वीकृत की जानी चाहिए।

41. जहां तक संशोधन अनुज्ञात करने का संबंध है, विधि द्वारा यह सुस्थापित है, अर्थात, इसकी अनुमति वाद के किसी भी स्तर पर दी जा सकती है यहाँ तक कि निर्णय के उद्घोषणा से पहले भी, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **चंद्रकांता बंसल बनाम राजिंदर सिंह आनंद, (2008) 5 S.S.C. 117 में** रिपोर्टेड मामले में किए गए निर्धारण का संदर्भ लिया जाना चाहिए, जहां इसके पैराग्राफ 15 में यह निर्धारित किया गया है, जिसे नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> *“**15.** …… यद्यपि नियम 17 का पहला भाग यह स्पष्ट करता है कि कार्यवाही के किसी भी चरण में अभिकथनों में संशोधन की अनुमति है किन्तु इसका परन्तुक कुछ प्रतिबंध अधिरोपित करता है। यह स्पष्ट करता है कि ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि, अगर यह स्थापित हो जाता है कि “सम्यक् तत्पर्ता” के बावजूद पक्षकार परिस्थितियों के अधीन ट्रायल शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सका था, तो अदालत ऐसे आवेदन पर आदेश देने के लिए स्वतंत्र है।”*

42. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अब्दुल रहमान एवं अन्य बनाम मोहम्मद रुलदू एवं अन्य (2012) 11 S.S.C. 341** में रिपोर्टेड मामले में यह संप्रेक्षित किया है कि संशोधन अनुज्ञात करने की शक्ति व्यापक

है और न्याय के हित में कार्यवाही के किसी भी स्तर पर इसका प्रयोग किया जा सकता है, तत्पर संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 11 को नीचे इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा रहा है:-

> *“**11.** मूल प्रावधान को 1999 के संशोधन अधिनियम 46 द्वारा हटा दिया गया था, हालाँकि, इसे 2002 के संशोधन अधिनियम 22 द्वारा फिर से बहाल कर दिया गया है, लेकिन ट्रायल शुरू होने के बाद संशोधन अनुज्ञात करने के लिए आवेदन को रोकने के लिए एक अतिरिक्त परंतुक के साथ, जब तक कि अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि सम्यक् तत्पर्ता के बावजूद पक्षकार ट्रायल शुरू होने से पहले मामले को नहीं उठा सका था। उपर्युक्त परंतुक कुछ हद तक, किसी भी स्तर पर संशोधन की अनुमति देने के पूर्ण विवेक को कम करता है। वर्तमान में, यदि आवेदन ट्रायल शुरू होने के बाद दायर किया जाता है, तो यह दिखाना होगा कि सम्यक् तत्पर्ता के बावजूद, इसकी ईप्सा पहले नहीं की जा सकी थी। नियम का उद्देश्य यह है कि, अदालतों को उनके सामने आने वाले मामले के गुण-दोष पर विचार करना चाहिए और परिणामस्वरूप, पक्षों के बीच विवाद में वास्तविक प्रश्न को निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी संशोधनों को अनुमति देनी चाहिए बशर्ते कि इससे दूसरे पक्ष को अन्याय या पूर्वाग्रह ना हो। इस न्यायालय ने अपने निर्णयों की श्रृंखला में अभिनिर्धारित किया है कि संशोधन अनुज्ञात करने की शक्ति व्यापक है और न्याय के हित में कार्यवाही के किसी भी चरण में इसका प्रयोग किया जा सकता है। संशोधन अनुज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना है और यह तर्क कि संशोधन के माध्यम से मांगी गई राहत समय से बाधित थी, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की रोशनी में विचार किया जायेगा। उपरोक्त सिद्धांतों को इस न्यायालय ने जे. सैमुअल बनाम गट्टू महेश [(2012) 2 S.S.C. 300] और रमेशकुमार अग्रवाल बनाम राजमाला एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड [(2012) 5 S.S.C. 337] में दोहराया है। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम इस बात पर विचार करें कि क्या* अपीलकर्ताओं ने संशोधन के लिए कोई मामला बनाया है।**”**

43. समान रूप से विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि किस मामले में संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी, वह यह है कि यदि किसी संशोधन द्वारा किसी वाद हेतुक, जो वाद की परिसीमा से बाधित हो, में संशोधन ईप्सित हो, तो इस सिद्धांत पर उसे स्वीकृति नहीं दी जा सकती है कि यदि ईप्सित संशोधन, जो वाद दायर करने के समय नहीं लाया गया था और इस समय तक चूंकि परिसीमा बाधा के कारण उक्त कार्रवाई के वाद हेतुक को नया वाद दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती है, तो उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता है, इस संबंध में ***एल.जे.लीच एंड कंपनी लिमिटेड, और अन्य बनाम मेसर्स जैर्डिन स्किनर एंड कंपनी*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निर्दिष्ट किया जाता है, जो ***(1957) S.C. R. 438*** में रिपोर्टेड है, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 16 को नीचे इस प्रकार निर्दिष्ट किया जा रहा है:-

> “**16.** निःसंदेह यह सच है कि अदालतें नियम के रूप में, संशोधनों को अनुज्ञात करने से इनकार कर देंगे, यदि संशोधित दावे पर एक नया मुकदमा आवेदन की तिथि पर परिसीमा द्वारा वर्जित हो जाता हो। लेकिन यह एक ऐसा कारक है जिसे विवेक के प्रयोग में ध्यान में रखा जायेगा कि क्या संशोधन का आदेश दिया जाना चाहिए, और यदि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक है, तो यह अदालत को ऐसा आदेश देने की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है। *चरण दास बनाम अमीर खान [(1920) 47 IA 255] में प्रिवी काउंसिल ने संप्रेक्षित किया है:*
>
> “कि संशोधन करने की पूरी शक्ति थी, इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है, और यद्यपि ऐसी शक्ति का प्रयोग एक नियम के रूप में नहीं किया जाना चाहिए, जहां इसका प्रभाव प्रतिवादी से उस कानूनी अधिकार को छीनना है जो समय बीतने के कारण उसे प्राप्त हो चुका हो, फिर भी ऐसे मामले हैं जहां ऐसे विचार मामले की विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा भारी हो जाते हैं।”

44. **रावजीतु बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम नारायणस्वामी एंड संस एंव अन्य, (2009) 10 S.S.C. 84** में रिपोर्टेड मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेक्षित किया है कि एक सामान्य नियम के रूप में, यदि संशोधित दावों पर एक नया वाद आवेदन की तारीख पर परीसीमा द्वारा वर्जित होता है, तो न्यायालय को संशोधनों को अस्वीकार कर देना चाहिए, तत्काल संदर्भ के लिए पैराग्राफ 63 का प्रासंगिक भाग नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

> “**63.** (6) एक सामान्य नियम के रूप में, न्यायालय को संशोधनों को अस्वीकार कर देना चाहिए यदि संशोधित दावों पर एक नया वाद आवेदन की तारीख पर परीसीमा द्वारा वर्जित हो।”

45. संशोधन अनुज्ञात नहीं करने का तीसरा सिद्धांत यह है कि यदि संबंधित पक्षकार की ओर से, विशेष रूप से लिखित कथन में, कोई स्वीकृति है तो उक्त स्वीकृति को नकारने हेतु संशोधन नहीं किया जा सकता है।

46. सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय उपरोक्त मापदंडों पर विचार किया जायेगा।

47. यह न्यायालय अब उपरोक्त मापदंडों के आधार पर दिनांक 27.01.2023 के आदेश का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसके द्वारा बहस के चरण में अनुसूची में 4 कठ्ठा 6 छटांक को संदर्भित करने हेतु संशोधन की मांग की गई थी, जो याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उठाई गई मुख्य आपत्ति है।

48. इस न्यायालय को, सबसे पहले, याचिकाकर्ता के आचरण का उल्लेख करने की आवश्यकता है कि शुरू में जब 27.01.2023 को आदेश पारित किया गया था, तो उसे चुनौती नहीं दी गई, बल्कि उसने अतिरिक्त लिखित कथन दायर किया। अतिरिक्त लिखित कथन दायर करना याचिकाकर्ता के आचरण को दर्शाता है कि वह दिनांक 27.01.2023 के आदेश से बिल्कुल भी व्यथित नहीं था अन्यथा वह दिनांक 27.01.2023 के आदेश के बाद अतिरिक्त लिखित कथन के रूप में कथित लिखित कथन दायर नहीं करता।

49. उपर्युक्त आचरण के कारण इस न्यायालय का आगे का यह दृष्टिकोण है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 27.01.2023 के आदेश से व्यथित नहीं कहा जा सकता है, जिस दिन संशोधन को शामिल करने की स्वीकृति दी गयी थी, लेकिन बाद में जब याचिकाकर्ता द्वारा दायर अतिरिक्त लिखित कथन को दिनांक 30.05.2023 के आदेश के तहत आवश्यक नहीं माना गया, तभी वर्तमान याचिका दिनांक 30.05.2023 के आदेश को दिनांक 27.01.2023 के आदेश के साथ चुनौती देते हुए दायर की गई है।

50. एक बार जब याचिकाकर्ता ने सक्षम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.01.2023 के आदेश को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करना पड़ा, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता-वाद में प्रतिवादी, को कोई शिकायत रह गयी है।

51. चूंकि उक्त आदेश चुनौती के अधीन है, इसलिए इस न्यायालय का यह बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह पूर्ववर्ती पैराग्राफों में संदर्भित उपरोक्त आधार के अलावा उक्त आदेश की वैधता और औचित्य की संवीक्षा करे।

52. **दिनांक 27.01.2023 के आदेश से यह स्पष्ट है कि शिड्यूल संपत्ति में वृद्धि करके संशोधन की मांग** की गई है क्योंकि सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत दायर याचिका के अनुसार इसका संदर्भ वादपत्र की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था।

53. विचारण आगे बढ़ा और बहस के समय सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17, के तहत आवेदन दाखिल किया गया।

54. यह सुस्थापित विधि है कि संशोधन को वाद के किसी भी चरण में, यहां तक कि अपील के चरण में भी शामिल किया जा सकता है ताकि विवाद को अंतिम रूप से सुलझाया जा सके और इसके अलावा, समान वाद हेतुक के लिए अतिरिक्त कार्यवाही के कारण, कार्यवाही की बहुलता नहीं होनी चाहिए जो मूल विवाद से संबंधित हो।

55. केवल इस प्रश्न पर विचार किया जाना है कि क्या संशोधन की अनुमति दिए जाने के बाद वाद की प्रकृति बदल जाएगी या नहीं। यहां याचिकाकर्ता के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने, उच्च फोरम के समक्ष कोई याचिका दायर करके उस पर सवाल न उठाकर, दिनांक 27.01.2023 के आदेश को स्वीकार कर लिया है, जो अपने आप में यह सुझाव देता है कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी वाद की प्रकृति नहीं बदली है। इसे बदला नहीं जा सकता, जैसा कि सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत दाखिल आवेदन से स्पष्ट होगा क्योंकि सीमाएं वही हैं केवल प्रश्नगत वाद सम्पत्ति का क्षेत्रफल संशोधन के ज़रिए शामिल करने की ईप्सा की गई है।

56. इसलिए, इस न्यायालय का यह मत है कि यहां जिन उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्णय के अनुसार संशोधन को अस्वीकार करने के लिए जो भी मापदंड तय किए गए हैं, वे उपलब्ध नहीं हैं।

57. संबंधित न्यायालय को आदेश VI, नियम 17 के तहत याचिका स्वीकार करते समय केवल इस बात पर विचार करना है कि जो संशोधन शामिल किया जा रहा है, उससे प्रतिवादी को कोई नुकसान (prejudice) नहीं होना चाहिए।

58. याचिकाकर्ता / प्रतिवादी ने अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल किया था, लेकिन न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

59. लिखित कथन दाखिल करने की आवश्यकता के प्रश्न का मूल्यांकन इस स्तर पर न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, बल्कि, इसकी आवश्यकता है या नहीं, यह इस प्रकार सम्मिलित संशोधन के आधार पर विवाद्यकों के विचरण (framing of issues) पर निर्भर करता है। यदि न्यायालय इस स्तर पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लिखित कथन दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसे इस स्तर पर ही पूरे मामले पर पूर्व-निर्णय करना कहा जाएगा।

60. आगे, मुद्दा यह होगा कि यदि संशोधन की अनुमति दी गई है और यदि अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने का अवसर नहीं दिया गया है, तो पूर्वाग्रह का प्रश्न भी सामने आएगा और ऐसी परिस्थितियों में विचारण को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता है।

61. लेकिन विद्वान न्यायालय ने उक्त मुद्दे पर विचार करते समय सी.पी.सी. के आदेश VI, नियम 17 के तहत संशोधन की स्वीकृति देने के मामले में मामले के दूसरे पहलू, यानी पूर्वाग्रह वाले हिस्से पर विचार नहीं किया है, जिसका न्यायालय को ध्यान रखना है।

62. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 30.05.2023 के आदेश को उचित नहीं कहा जा सकता है।

63. यह न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत कार्यरत है और जहां तक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रश्न है, जो पर्यवेक्षी प्रकृति का है, यह सुस्थापित विधि है कि आदेश में स्पष्ट त्रुटि की जांच की जानी चाहिये, और यदि आदेश में कोई त्रुटि है, तो आक्षेपित आदेश को रद्द एंव अपास्त करना आवश्यक है, इस संबंध में **पेप्सिको इंडिया होल्डिंग (प्रा) लि. बनाम कृष्ण कांत पांडे (2015) 4 S. S. C. 270** में रिपोर्टेड मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का संदर्भ लिया जाना चाहिए जिसमें माननीय न्यायाधीशों ने **चंदावरकर सीता रत्न राव बनाम आशालता एस. गुरम** (1986) 4 S. S. C. 447 के मामले में दिए गए फैसले का अवलंबन लेते हुए इसके पैरा 17 में निम्नानुसार निर्धारण किया है:-

> "**17.** तथ्यों से पाए जाने वाले निष्कर्ष में न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बथुतमल रायचंद ओसवाल बनाम लक्ष्मीबाई आर. तर्ता में इस न्यायालय के सम्प्रेक्षण का संदर्भ लिया जा सकता है, जहां इस न्यायालय ने चिह्नित किया है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की आड़ में खुद को अपीलीय न्यायालय में नहीं बदल सकता, जबकि विधायिका ने अपील की शक्ति प्रदान नहीं की हो। उच्च न्यायालय साक्ष्य का परीक्षण करके और फिर से पुनःमूल्यांकन करके तथ्यों की त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम नहीं था। न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति भगवती ने, जो उस समय विद्वान मुख्य न्यायाधीश थे, रिपोर्टेड निर्णय के पृष्ठ 1301 पर इस प्रकार संप्रेक्षित किया:
>
> ...... अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त पर्यवेक्षण की शक्ति, जैसा कि डालमिया जैन एयरवेज बनाम सुकुमार मुखर्जी में हैरिस, सी.जे. द्वारा इंगित किया गया है, का प्रयोग बहुत ही संयम से और केवल उचित मामलों में किया जाना चाहिए, ताकि अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार की सीमाओं के भीतर रखा जा सके, न कि केवल त्रुटियों को ठीक करने के लिए। इस कानून के कथन को नागेंद्र नाथ बोस बनाम हिल्स डिवीजन के कमिश्नर के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय में स्वीकृति के साथ उद्धृत किया गया था और इसे न्यायमूर्ति सिन्हा ने उस मामले में न्यायालय की ओर से बोलते हुए इंगित किया था: इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रकृति के आदेशों के साथ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप की शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति से अधिक नहीं हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की शक्ति रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती के आधार पर किसी विवादित आदेश को रद्द करने तक विस्तृत हो सकती है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, हस्तक्षेप की शक्ति यह माँग करने तक सीमित है कि न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर कार्य करे।

64. इस न्यायालय का, उपर्युक्त सिद्धांत के आधार पर, यह विचार है कि दिनांक 27.01.2023 के आदेश में, ऊपर उल्लिखित कारण से, इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड पर किसी भी त्रुटि को इंगित करने में विफल रहा है।

65. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 27.01.2023 के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

66. हालाँकि, जहाँ तक दिनांक 30.05.2023 के आदेश का संबंध है, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण के अनुसार, याचिकाकर्ता को अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने के अवसर से वंचित करना उचित और कानूनी नहीं कहा जा सकता है।

67. इसलिए, दिनांक 30.05.20223 के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

68. तद्नुसार, दिनांक 30.05.2023 के आदेश को रद्द एंव अपास्त किया जाता है

69. याचिकाकर्ता अतिरिक्त लिखित कथन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

70. विद्वान विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही करना है।

71. वर्तमान रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

72. दिनांक 30.08.2023 का अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

73. परिणामतः, लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति, सुजीत नारायण प्रसाद)

यह अनुवाद मो. अशरफ हुसैन अंसारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।